302

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

समक्ष : एम.के. सिंह

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2206–एक/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 22.06.2016 पारित अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अजयगढ़ तहसील अजयगढ़ जिला–पन्ना प्रकरण क्रमांक 68/अपील/अ–6/2014–15

1– अनुराग पुत्र स्व. साधू ब्राह्मण

2– विराग पुत्र स्व. साधू ब्राह्मण

दोनों नाबालिग सरपरस्त मॉ जयदेवी पत्नी स्व. साधू ब्राह्मण

निवासी ग्राम वीरा तहसील अजयगढ़ जिला पन्ना (म.प्र.)

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1– विट्टी पुत्री स्व. गौरीशंकर ब्राह्मण

पत्नी रामस्वरूप मिश्रा

निवासी ग्राम बीरा हाल निवास ग्राम मकरी तह. अतर्रा जिला बांदा (उ.प

2– भगवतदीन पिता शिवधनी ब्राह्मण

3– रामऔतार पिता शिवधनी ब्राह्मण

निवासीगण सानगुरैया तहसील अजयगढ़ जिला पन्ना

4– कुसमा पिता शिवधनी ब्राह्मण पत्नि रामस्वरूप दीक्षित

निवासी ग्राम पनगरा तहसील नरैनी जिला बॉदा (उ.प्र.)

5– सुशीला पिता शिवधनी ब्राह्मण पत्नि जगजोधन प्रसाद शुक्ला

निवासी ग्राम पिस्टा तहसील अजयगढ़ जिला पन्ना

6– राजकुमार पिता शिवधनी ब्राह्मण

निवासी ग्राम सानगुरैया तहसील अजयगढ़ जिला पन्ना

7– चंद्रकुंवर पिता शिवधनी ब्राह्मण पत्नि बेदप्रकाश दीक्षित

निवासी ग्राम पनगरा तहसील नरैली जिला बांदा (उ.प्र.)

8– चन्द्रिका पिता गोमती प्रसाद पाठक

9– हरवंश पिता गौमती प्रसाद पाठक
10– रामरतन पिता गौमती प्रसाद पाठक
11– कृष्ण स्वरूप पिता गौमती प्रसाद पाठक
चारों निवासीगण ग्राम गिरबा तह. नरैनी जिला बॉदा (उ.प्र.)

..... अनावेदकगण

श्री मुकेश भार्गव अधिवक्ता आवेदकगण
श्री एस.के. वाजपेयी अधिवक्ता अनावेदकगण

आदेश

(आज दिनांक 31–01–2017 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू. राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अजयगढ जिला पन्ना के प्रकरण कमांक 68/अपील/अ–6/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 22.06.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

2– प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार अजयगढ़ के समक्ष आवेदकगण की ओर से उनकी मां जयदेवी ने संहिता की धारा 109–110 के तहत इस अशय का आवेदन पत्र पेश किया था कि ग्राम बीरा में स्थित आराजी कं. 2069, 2070, 2071, 2076/3 रकवा कमंश 0.510, 0.057, 0.688, 1.451 किता 4 रकवा 2.706 है0 भूमि का बसीयत खातेदार साधू ब्रा. मृत्यु से पूर्व अपने जीवनकाल में ही आवेदकगण के नाम रजिस्टर्ड वसीयतनामा उपपंजीयक के समक्ष संपादित कर गये थे अतः बसीयतनामा दिनांक 5.12.2007 के तहत मृतक साधू ब्रा. के स्थान पर वाद भूमियों पर आवेदकगण के नाम नामांतरण किया जावे। प्रकरण दर्ज कर इश्तहार प्रकाशित कराया समयावधि में कोई आपत्ति नहीं आई। वसीयत के साक्षियों के कथन कराये, पटवारी प्रतिवेदन एवं अन्य

साक्ष्य दस्तावेज लेकर वसीयतनामा के अनुसार वाद भूमि पर आदेश दिनांक 25.9.14 द्वारा आवेदकगण के नाम नामांतरण किये जाने का आदेश पारित किया । उक्त आदेश दिनांक 25.9.2014 के विरूद्ध अनोवदक कं. 1 विटटी ने दिनांक 2.9.15 को अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष 11 माह विलंब से अपील प्रस्तुत की गई। विलंब माफी के लिये अवधि विधान की धारा–5 के अंतर्गत आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदक की और से अपील अवधि बाह्हाय होने संबंधी आपत्ति आवेदन पेश किया था आपत्ति पर अनुविभागीय अधिकारी ने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं के तर्क सुनने के पश्चात अपने आदेश दिनांक 22.06.2016 में यह निष्कर्ष निकाला है कि अनावेदक कं. 1 (अपीलार्थी) विटटी को विचारण न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया है, सुनवाई का अवसर नहीं दिया इस कारण विलंब माफ किया जाकर अपील म्याद के अंदर प्रस्तुत करना मान्य की जाती है तथा प्रकरण गुणदोषों पर बहस हेतु नियत किया जाता है। अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक के आपत्ति आवेदन पत्र पर किसी भी प्रकार का कोई आदेश नहीं दिया। इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी आवेदक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3– मैने प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन किया। उभयपक्ष के उपस्थित विद्वान अभिभाषकों के तर्क सुने तथा लिखित तर्को पर विचार किया। आवेदक अभिभाषक का तर्क है कि तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदकगण की ओर से उनकी मां जयदेवी ने संहिता की धारा 109–110 के तहत इस आशय का आवेदन पेश किया था कि वादग्रस्त भूमि का एक मात्र अभिलिखित भूमिस्वामी उसका पति साधू ब्रा. था। साधू ब्रा. ने अपने जीवनकाल में ही रजिस्टर्ड

वसीयतनामा दिनांक 05.12.2007 संपादित किया था साधू ब्रा. के मृत होने के पश्चात उक्त वसीयतनामा के आधार पर आवेदकगण के नाम नामांतरण किया जावे। तहसील न्यायालय ने प्रकरण दर्ज कर विधिवत प्रकिया अपनाकर वसीयत के साक्षियों के कथन, लेकर पटवारी प्रतिवेदन मंगाकर खसरा की नकल एंव अन्य दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य व कथन लेकर वसीयत को साक्ष्य से प्रमाणित कराकर वसीयत के आधार पर आवेदकगण के नाम नामांतरण किये जाने का वैध आदेश पारित किया था। अनावेदक कं. 1 विट्टी व अन्य वादग्रस्त भूमि के अभिलिखित भूमिस्वामी नही है इस कारण उन्हें न तो विचारण न्यायालय में पक्षकार बनाया था न ही उन्हें व्यक्तिशः सूचना देने की आवश्यकता थी तहसील न्यायालय ने इश्तहार का प्रकाशन कराया था किसी भी व्यक्ति द्वारा समय सीमा के अंदर अथवा पश्चात किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति पेश नहीं की थी। तहसील न्यायालय द्वारा आवेदकगण के पक्ष में नामांतरण आदेश पारित होने के पश्चात उक्त आदेश दिनांक 25.9.14 की 11 माह पश्चात कैसे जानकारी हुई इस संबंध में धारा 5 आवेदन में पर्याप्त कारण नहीं बताये थे आवेदक ने धारा–5 आवेदन पर वैधानिक आपत्ति उठाई थी जिस पर अनुविभागीय अधिकारी ने किसी भी प्रकार का कोई आदेश नहीं दिया। उनका यह भी तर्क है कि अपील स्पष्टतः समयावधि बाह्य थी। विलंब आवेदन में दर्शाये गये आधार पर्याप्त एवं विधि संगत नहीं है। अतः आवेदक के अभिभाषक द्वारा निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया।

4— अनावेदकगण के अभिभाषक ने तर्क पेश किये गये उनके तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अनावेदक कं. 1 विटटी ने मृतक साधू ब्रा. की बहन होने के बाद भूमि में उसकाहक व हिस्सा होने के आधार पर अपील पेश की है जिसके

साथ विलंब क्षमा करने हेतु आवेदन पेश किया है अधीनस्थ न्यायालय ने अपील ग्राहाय कर धारा 5 आवेदन स्वीकार कर विलंब क्षमा किये जाने का आदेश पारित किया है अभीदोनों पक्ष की सुनवाई कर गुण दोषों पर आदेश पारित करने हेतु प्रकरण लंबित है लेकिन आवेदक ने उसके पूर्व ही विलंब क्षमा किये जाने का पारित आदेश पत्रिका दिनांक 22.06.2016 के विरूद्ध माननीय नययालय के समक्ष पुनरीक्षण प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगा लिया। यह भी तर्क दिया कि मूल भूमिस्वामी गौरीशंकर ब्रा. का पुत्र स्व. साधू ब्रा. पुत्री विट्टी एंव अन्य पुत्रियों के बारिश शेष अनावेदकगण है जिन्हें गौरीशंकर की भूमि में से अपना हक हिस्सा पाने का अधिकार है अनुविभागीय अधिकारी ने अनावेदक कं. 1 विटटी को विचारण तहसील न्यायालय में पक्षकार न बनाये जाने के कारण साधू ब्रा. की बहिन होने के आधार पर उसके द्वारा प्रस्तुत अपील को जानकारी दिनांक से अंदर अवधि मान्य करने में कोई त्रुटि नहीं की है इस प्रकार उनके द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध है।

5– अनुविभागीय अधिकारी के अभिलेख से स्पष्ट है कि तहसीलदार के आदेश दिनांक 25.9.14 के विरूद्ध अनोवदक कं. 1 विटटी द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 02.09.2015 को 11 माह विलंब से अपील प्रस्तुत की है जो स्पष्टतः समयावधि बाह्मय है। अनावेदक ने विलंब को माफ करने हेतु अवधि विधान की धारा–5 का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त आवेदन में तहसील आदेश की जानकारी का स्त्रोत हल्का पटवारी से मिलने पर सर्वप्रथम दिनांक 11.8.2015 को होना बताया है उसी दिन नकल हेतु आवेदन दियाजो दिनांक 19.8.2015 को प्राप्त हुई उसके पश्चात दिनांक 02.09.2015 को अपील

प्रस्तुत की। ऐसी दशा में अनुविभागीय अधिकारी को सर्वप्रथम अवधि विधान तथा आवेदक अनुराग आदि की ओर से अपील प्रचलन व अवधि बाह्मय होने के संबंध में उठाई गई आपत्ति का विधिवत निराकरण करना चाहिये था। रामभुवन वि. रामविशाल (2002 रा.नि. 254) में राजस्व मण्डल द्वारा यही व्यवस्था दी गई है कि –

"धारा 44(1) – समय वर्जित अपील– परिसीमा का प्रश्न पहले सकारण आदेश से निविश्चित किया जाना चाहिये।"

विलंब को न्यायहित में तभी माफ किया जा सकता है जब प्रत्येक दिन का समाधानकारक स्पष्टीकरण प्रमाण सहित प्रस्तुत किया जाये आवेदनकर्ता विटटी ने स्वंय अवधि विधान के आवेदन पत्र में दर्शाया है कि हल्का पटवारी से दिनांक 11.8.15 को मिलने पर तहसील आदेश की जानकारी हुई तब उसी दिन नकल हेतु आवेदन दिया जो दिनांक 19.8.2015 को तैयार होकर प्राप्त हुई उसके पश्चात अभिभाषक से सलाह लेकर दिनांक 2.9.15 को उक्त अपील पेश की । अनावेदक विट्टी वाद भूमि से काफी दूर दूसरे प्रदेश उत्तर प्रदेश के गांव में निवास करती है दिनांक 11.8.2015 को अचानक हल्का पटवारी से सम्पर्क क्यों किया उसके पश्चात दिनांक 19.8.15 को नकल प्राप्त होने के पश्चात लगभग 13 दिन पश्चात अपील पेश करने में क्यों विलंब हुआ आवेदन पत्र में इस बावत कोई लेख नहीं किया इससे स्पष्ट है कि अनावेदक विटटी को वाद भूमि पर आवेदकगण का नामांतरण होने की पूर्व से ही जानकारी थी इसी कारण प्रस्तुत आवेदन में जो कथन लेख किये हैं वह मात्र अपील को अंदर म्याद ग्राह्मय करने के आशय से ही मनगढंत कहानी बनाकर आवेदन में लेख की है जो विश्वसनीय मान्य किये जाने योग्य नही है।

माननीय उच्च न्यायालय ने 1992 रा.नि. 289 में यही व्यवस्था दी है कि विलंब सदभावना पर आधारितहोने व पर्याप्त कारण होने पर ही क्षमा किया जा सकता है। अनावेदक विटटी द्वारा तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष 11 माह बाद अपील प्रस्तुत की गई है और विलंब का कोई समुचित कारण नहीं दर्शाया गया है। अनावेदकगण विटटी व अन्य वादग्रस्त भूमि पर राजस्व अभिलेख में अभिलिखित भूमिस्वामी नहीं है न ही संयुक्त खातेदार के रूप में नाम दर्ज है उनका हक हिस्सा वाद भूमि में यदि है तब उन्हें सर्वप्रथम अपना स्वत्व सिविल न्यायालय से प्रमाणित कराना पडेगा बिना स्वत्व के उन्हें अपील करने का अधिकार नहीं था। इसलिये अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष स्वत्व विहीन अनावेदक विटटी द्वारा प्रस्तुत अपील अवधि बाह्य होने से ऐसी अपील को सुनने का अधीनरथ न्यायालय को अधिकार ही नहीं था। ऐसी विलंबित अपील प्रथम दृष्टया ही प्रचलन योग्य नहीं है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है। अनुविभागीय अधिकारी अजयगढ़ का आदेश दिनांक 22.06.2016 तथा उनके समक्ष लंबित अपील समयावधि बाह्य होने से प्रचलन योग्य नहीं होने से निरस्त/ समाप्त की जाती है। तहसीलदार अजयगढ मण्डल वीरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.09.2014 यथावत रखा जाता है।

(एम.के. सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर